उत्तर प्रदेश में गन्ने की बकाया धनराशि

117. **श्री जैनुल बशर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1983 के बाद उत्तर प्रदेश में विभिन्न चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को उनकी बाकी धनराशि में से कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ;

(ख) 30 जून, 1983 के बाद कितनी धनराशि बकाया है ; और

(ग) बकाया धनराशि के भुगतान के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है और यह धनराशि कब तक भुगतान की जाएगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) उत्तर प्रदेश की चीनी फैक्ट्रियों ने पहली अप्रैल, 1983 से 15 जून, 1983 तक की अवधि के दौरान, 1982-83 में खरीदे गये गन्ने के लिए 107.21 करोड़ रुपये और पहले मौसमों में खरीदे गये गन्ने के लिए 9.68 करोड़ रुपये गन्ने का मूल्य दिया था।

(ख) 16 जून, 1983, अर्थात् वह अद्यतन तारीख जब तक की सूचना उपलब्ध है, को उत्तर प्रदेश में 1982-83 मौसम की गन्ने की बकाया राशि 124.27 करोड़ रुपये और पहले के मौसमों के बारे में 8.79 करोड़ रुपये थी।

(ग) गन्ने के बकायों का भुगतान करवाने की राज्य सरकारों की सीधी जिम्मेदारी होती है जिनके पास ऐसे भुगतान करवाने के लिए आवश्यक फील्ड संगठन और शक्तियां हैं। केन्द्रीय सरकार स्थिति की निगरानी रखती है और राज्य सरकारों को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करवाने के लिए समय-समय पर निदेश जारी करती है। अभी हाल ही में वह मामला राज्य सरकारों के साथ उच्चतम स्तर पर भी उठाया गया है।

केन्द्रीय सरकार ने अपनी तरफ से चीनी मिलों को बैंक से दी जाने वाली ऋण सुविधाओं को उदार बना दिया है। इसके अलावा, देर तक पेराई जारी रखने पर उत्पादन शुल्क में रिबेट देना और खुली बिक्री की चीनी की सूझ-बूझ के साथ मासिक निर्मुक्तियां करके चीनी के मूल्य के वांछित स्तर को बनाए रखने जैसे अन्य पग भी उठाए गए हैं ताकि चीनी उद्योग की तरलता बनाई रखी जा सके जिससे वे बकायों का भुगतान कर सकें।

जहां तक चीनी उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम, 1978 के अधीन अधिकार में ली गई चीनी मिलों का सम्बन्ध है, सरकार ने गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान करने का निर्णय किया है।

Penalty Imposed for Misuse on Premises

118. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE :
SHRI R.L.P. VERMA :

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to refer to reply given to USQ No. 3773 on 2 August, 1982 regarding penalty imposed for misuse of premises and state :

(a) the formula used by DDA for calculation of penalty of misuse on house owners and how it differs from the formula used by L. and D.O. as stated in reply given to USQ No. 2424 on 8 March 1982 ;

(b) the reasons why the L. and D.O. does not give the concession of charging 25 per cent penalty as is done by DDA if the Lessee initiates legal proceedings against tenant for eviction ;

(c) whether the DDA launches prosecutions for non-conforming use even after it has levied penalty for misuse ; and

(d) whether the DDA launches prosecu-

tion for non-conforming use against the premises on which misuse charges are imposed by L. and D.O. and whether the L and DO informs the DDA of misuse, non-conforming use detected by its office, if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Implementation of Recommendations of National Flood Commission

119. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE :
SHRI SURAJ BHAN :

Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Flood Commission submitted to Government 207 recommendations in March 1980 for controlling damages from floods and after two inter-Ministry Committees processed them, guidelines and implementation instructions for 202 recommendations were issued to States and Central Government departments agencies in September, 1981 ; and

(b) what is the State-wise progress in this regard and the headway made by Central Government departments/agencies ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) Yes, Sir.

(b) On majority of recommendations, the action is primarily to be initiated by the State Governments as flood control is a State subject. Implementation of recommendations is also being pursued with the State Governments through the States Irrigation Ministers' Conference. During the last Conference held at Madras in December 1982, it was resolved that the State Governments and the Central agencies would draw up programme for expeditious implementation of the recommendations and send periodical reports to the Centre. The States of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and Uttar Pradesh have sent reports on the action initiated by them.

Central Water Commission and Ganga Flood Control Commission have also initiated action in implementing the relevant recommendations, particularly in the following field :

(ii) Flood plain zoning,

(ii) Flood forecasting and warning,

(iii) Flood risk mapping,

(iv) Use of remote sensing techniques for flood damage assessment,

(v) Evaluation of selected flood control projects,

(vi) Identification of Research Programme,

(vii) Creation of data bank,

(viii) Application of mathematical modelling for flood forecasting, and

(ix) Preparation of Comprehensive Master Plan for flood control.

पश्चिमी राजस्थान के लोगों की आर्थिक दशा का सर्वेक्षण

120. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान के निरन्तर सूखाग्रस्त क्षेत्र और वहां के लोगों की आर्थिक दशा हेतु व्यापक सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण दल के सदस्यों का ब्यौरा क्या है और इसके निदेश पद क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ